भाषा माध्यम के रूप में एक आलोचनात्मक दृष्टि

जैसे ही भारत स्वतन्त्र हुआ, भारतीय शिक्षा के पुनर्निर्माण क्षेत्र में शिक्षाविद् और शिक्षा व्यवस्थित करने वालों के सम्मुख शिक्षा के माध्यम की यह समस्या सामने आई कि माध्यमिक स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम कौन-सा उपयुक्त रहेगा ? ताकि भारतीय लोग अधिक से अधिक शिक्षित हो सके। शिक्षा का माध्यम लोगों को शिक्षित करने में सकारात्मक भूमिका निभा सके परन्तु विदेशी शासन के हटने और भारतीय स्वाधीनता के नवीन स्वर्ण युग के उदय के साथ शिक्षा व्यवस्थापकों के लिए फैसला लेना कठिन था, (क्योंकि पाश्चात्य मिशनरियों और अंग्रेजी शासकों ने भारत और सांस्कृतिक आधिपत्य जमाने तथा प्रशासन के निमित्त अंग्रेज़ी भाषा भारतवासियों पर थोपी थी।) लार्ड मैकाले ने साफ शब्दों में कहा था कि भारतीयों का ऐसा वर्ग बनाया जाए, जो रंग और रक्त से चाहे भारतीय हों. किन्तु वह रूचियों, विचारों, नैतिक मूल्यों, बुद्धि तथा समता की दृष्टि से अंग्रेज़ों जैसा हो। यह वर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी अंग्रेजी शिक्षा को जनता में फैलाता रहेगा। मैकाले का यह स्वप्न सत्य निकला। आजकल लोग पश्चिम की अंग्रेजी पढ़ने, बोलने, वेशभूषा पहनने का अन्धानुकरण कर रहे हैं और हाथ से किए कार्यों को छोड़कर जीवन जीने में गर्व महसूस करते हैं उस समय तो मैकाले की अज्ञानता थी, भारतीय ज्ञान के प्रति वे अनभिज्ञ था परन्तु बाद में उसने उस समय के गवर्नर को पत्र लिखकर भारतीय ज्ञान के महत्व को स्वीकार भी किया था. पर हम भारतीयों ने भारतीय संस्कृति एवं भाषा के गौरव को मान्यता नहीं दी। अंग्रेज़ी ही मानों हमारे लिए सब कुछ हो चली है। आज -अंग्रेज़ी भाषा शासन की संचार की भाषा एवं शिक्षा के माध्यम की भाषा बन चुकी है ऐसी अवस्था कब तक चलेगी ? हमारे सविधान में 15 वर्ष के भीतर हिन्दी को अंग्रेजी भाषा का स्थान देना निश्चित हुआ था। शासन में ऐसा होना अनिवार्य था, परन्तु शिक्षा में यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

शिक्षा के माध्यम के लिये सुझाव

1. शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होना चाहिए।

2. शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो |

3. शिक्षा का माध्यम प्रदेशिक / मातृभाषा हो ।

माध्यम अंग्रेजी के पक्ष में तर्क

इस मत के पक्ष में बहुत से विद्वान हैं, उनके अपने तर्क और युक्तियाँ हैं।

1.**अंग्रेजी भाषा में उच्च वैज्ञानिक विचार** आधुनिक युग भौतिकवादी युग है। इस युग में जितनी भी हमारी भौतिक सुख समृद्धियों सम्भव है यह अंग्रेज़ी से है। अन्य भाषा इसका स्थान नहीं ले सकती।

विकसित देशों के द्वारा किए आश्चर्यजनक कार्य तथा आविष्कारों ज्ञान इस भाषा में उपलब्ध है और वैज्ञानिक उच्च बौद्धिक विषय भी अंग्रेजी में ही उपलब्ध है।

2.**श्रेष्ठ दार्शनिक विचारों की वाहक**: अंग्रेजी अंग्रेजी को ही दार्शनिक विचारों की 8 अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अंग्रेजी विद्वानों के अनुसार पाश्चात्य भाषा का दर्शन श्रेष्ठ है जो कि अंग्रेजी ज्ञान के बिना सम्भव नहीं। श्रेष्ठ ज्ञान को सीखने यु समझने का साधन भी यही है तो दूसरी भाषा में इसको समझना तो दूर, सोचा भी नहीं जा सकता। विदेशी संस्कृति, विचार, आदर्श, परम्पराएं तथा धर्म जानने के लिए अंग्रेजी माध्यम कारगर साबित होगा।

3. **अन्तर्राष्ट्रीय महत्व**: विश्वीकरण की दृष्टि से हमें अंग्रेजी भाषा को सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि अंग्रेजी पढ़ने वाले कभी समाज के किसी कोने में असफलता का मुँह नहीं देख सकते, क्योंकि हर देश में इसके महत्व को स्वीकार किया जा रहा है। हमारे जितने भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, उन सबके कार्य इसी भाषा में होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा प्रशाखाओं में इसी का बोलबाला है। आज (ग्लोबलाइजेशन) का युग माना गया है।

पुस्तकें लिखने वालों की प्रवृत्ति भी अंग्रेजी भाषा में लिखने की ओर है, अतः अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना कर इन पुस्तकों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करने से ये पुस्तकें विदेशों में खूब पढ़ी जाती है, जिससे अंग्रेजी भाषा के महत्त्व की जानकारी होती है।

4 राष्ट्रीय एकता में सहायक: अंग्रेजी के व्यापक प्रयोग से भारतवासियों के परस्पर संपर्क बढ़ने में, भूगोलिक सीमाओं को तोड़ने में सफलता मिल रही है। इसलिए यह राष्ट्रीय एकता में सहायक है। इसका अधिक प्रसार और प्रचार होना चाहिए। आज तो शासन की तथा संचार की भाषा अंग्रेजी बन चुकी है, यहाँ तक कि शिक्षा का माध्यम भी।

ज्ञानं चक्षुर्मनुष्याणाम

5.शैक्षणिक एवं साहित्यिक महत्व आज जब से ग्लोबलाइजेशन का युग प्रारम्भ हुआ है, तब से उच्च शिक्षा को पाने के लिए विदेशों में जाने की होड़ भी विद्यार्थियों को मजबूरन अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अंग्रेजी साहित्य ने विश्व के अन्य साहित्य को भी प्रचुर मात्रा में प्रभावित किया है। अंग्रेज़ी के ज्ञान के बिना अंग्रेज़ी साहित्य का रसास्वादन नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया जाये।

6 व्यापारिक महत्व शिक्षा और व्यापार का सीधा सम्बन्ध है। एक व्यापारी के लिए जहाँ शिक्षा आवश्यक है. यहीं उसे अपने व्यापार को अपने राष्ट्र और विदेशों में बढ़ाने के लिए अंग्रेजी

माध्यम के रूप में अपनाने की आवश्यकता है इस भाषा को आधार बनाकर अपने व्यापार को स्थायित्व और मजबूत रख सके। अंग्रेजी माध्यम से उनकी मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को सम्पुष्टता मिलेगी। अमेरिका के व्यावसायिक प्रभुत्व के कारण अंग्रेजी का प्रसार अधिक हो रहा है। अंग्रेजी जहाँ व्यवसाय में प्रयुक्त होगी वहाँ का सामाजिक परिदृश्य भी बदलेगा।

7.**पारिभाषिक शब्द**: अंग्रेजी में पारिभाषिक शब्दों का अतुल्य भण्डार है। यदि विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को माध्यम रखेंगे तो इनको शीघ्रता से समझ पाने में सक्षम होंगे। यूँ भी भारतीय भाषाओं में पूरी तरह से यह कार्य सम्पादित नहीं हो सका है।

8.अंग्रेजी भारत में सम्पर्क के रूप में: अंग्रेजी का प्रयोग समूचे भारत में होता है।दक्षिण भारत में जहाँ हिन्दी उनके लिए कठिन ही नहीं बल्कि अप्रयोगात्मक भी लगती है वहीं अंग्रेजी को वह अपनी भाषा के रूप में स्वीकारते हैं। जहाँ अंग्रेजी को जरूरी विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, वहीं हिन्दी विषय को स्वैच्छिक रूप से रखा गया है। अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा के रूप में मान कर उसका पक्ष लिया जाता है।

9.**अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी सीखना एक बोझ:**जो व्यक्ति अंग्रेजी सीखे हुए परिवार से सम्बन्धित थे, अंग्रेजी सीखना उनके लिए सहज और स्वाभाविक था और यो ही लोग अंग्रेजी को माध्यम और इसे राष्ट्रभाषा के रूप में बनाने के इच्छुक थे। वे हिन्दी सीखने के बोझ को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उनके विचार में हिन्दी सीख लेने पर भी वह हिन्दी के प्रयोग में अंग्रेज़ी जैसी क्षमता व कुशलता हासिल नहीं कर पायेंगे।

10. विज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजी का महत्त्व: आज का विद्यार्थी जो कि कल का भविष्य है तथा जो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में जाकर अपने आविष्कारों द्वारा भारत को उन्नति के शिखर पर पहुँचा सकता है, उनके सपनों को साकार करने का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी है. क्योंकि ये सभी विषय केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध हैं तथा अन्य किसी भी भाषा में इनका अनुवाद संभव नहीं। विज्ञान की प्रमाणिक शब्दावली केवल अंग्रेजी भाषा में संभव है।

11. इंटरनेट की भाषा:कम्प्यूटर द्वारा इन्टरनेट का विकास अंग्रेजी भाषा के विकास से इस तरह जुड़ गया है कि यह भाषा सारे विश्व की रणनीति व समाज को झकझोरने तक की स्थिति में आ चुकी है।इंटरनेट पर अंग्रेजी भाषा का एक एकछत्र राज्य है। आज विश्व के कम्प्यूटरों में 70% सूचनाएँ अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से होती है।

अंग्रेजी भाषा के विपक्ष में

1. विदेशी भाषा में ज्ञान प्राप्ति का सरल नहीं: यदि इस समस्या पर गम्भीरता से पक्षपात शून्य होकर विचार करें तो सत्य तो यह है कि एक विदेशी भाषा को शिक्षा का माध्यम रखने में कोई समझदारी नहीं है। शिक्षण-विधि की दृष्टि से विदेशी भाषा में शिक्षा देना व्यर्थ है, क्योंकि यह एक बोझ होगा। विदेशी भाषा न तो ज्ञान प्राप्ति का सरल साधन है और न ही अभिव्यक्ति का सीधा माध्यम। उच्च वैज्ञानिक विषय जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उनके अध्ययन के लिए अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है, परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बन जाए। प्राय बुद्धिमान विद्यार्थी भी विदेशी की कठिनाईयों के कारण शिक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। भारत में अंग्रेज़ों के 150 वर्षों के शासन में सिर्फ कुछ ही लोग अंग्रेजी का ज्ञान पा सके थे।

2. जनमानस की भाषाः नहीं बन सकी यदि भारतीयों की संस्कृति और जीवन उद्देश्यों और मान्यताओं के साथ ये भाषा चलती, तो भारतीय समाज के गले का हार बनती, जबकि उस समय में यह भाषा प्रशासन और सामान्य सार्वजनिक जीवन में प्रभावी बनने की कोशिश में रही। विदेशी भाषा को माध्यम बनाने का एक और कारण है कि जो लोग अंग्रेजों के चाटुकार व पिट्टु बनते रहे हैं. वह प्रशासन की बागडोर सम्भाल कर अंग्रेजों को न केवल खुश करने में बल्कि अंग्रेजी समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के उद्देश्य को लेकर चलते रहे है। भारतीय जनता का

एक छोटा भाग केवल 20% अंग्रेजी को माध्यम बनाने के पक्ष में है तो क्या भारत 20% लोगों का है ? 80% तो इसके विपक्ष में हैं तो हम उन 80%भारतीयों पर अंग्रेजी माध्यम थोपकर उनकी शक्ति का ह्रास तो नहीं कर रहे? विदेशी माध्यम से प्रत्येक पीढ़ी की शक्ति का निरर्थक उपयोग होता है। जरा सोचिए और समझें कि अंग्रेज़ी भाषा के एक शब्द को सीखने के लिए भारतीय जनता कि कितनी शक्ति व्यर्थ जाती है ?

3. विदेशियों द्वारा भारतीय भाषाओं की प्रशंसाः जो लोग उच्च विचारों की जननी कहकर अंग्रेजी माध्यम को अपनाने के पक्ष में हैं, वे भूल चुके हैं कि इसके लिए हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत अधिक श्रेष्ठ है और संस्कृत से उत्पन्न बहुत सी भाषाएँ इस क्षेत्र में बहुत उपयोगी हैं और समाज को भली-भाँति दिशा प्रदान कर रही हैं। संस्कृत भाषा भारत की ही नहीं संसार की प्राचीनतम भाषा है। मैकसमूलर द्वारा 'वैदिक साहित्य' की व्याख्या सर चार्ल्स विलकिन्स द्वारा श्रीभगवद् गीता का अंग्रेजी अनुवाद संस्कृत के महान ग्रंथों की जय बोलता है। विश्व की प्राचीनतम भाषा होने के कारण एवं प्राचीन काल में भारत जैसे वैभवशाली एवं प्रगतिशील राष्ट्र की भाषा होने के कारण इसने उस समय की अन्य भाषाओं को प्रभावित किया है। लेटिन और ग्रीक के विद्वान भी इस मत में अपनी सहमति दे चुके हैं। अतः अंग्रेजी उच्च कैसे स्वीकार्य है ?

4. भारत सरकार के प्रयास हिन्दी भाषा में पुस्तकों के लिए: अंग्रेजी में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धि का दावा भी पूर्ण सत्य नहीं है। स्वतन्त्रता से पहले हिन्दी में ऐसी कमी रही है परन्तु संविधान में 15 वर्ष के अन्दर हिन्दी को अंग्रेज़ी स्थान देने के प्रयास में बहुत सी पुस्तकें लिखी गई और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार इस कार्य के लिए विशेष प्रयास कर रही है।

5. अमनोवैज्ञानिकता: एक ओर आरोप हम पर यह है कि यदि शिक्षा का माध्यम हन अंग्रेजी बच्चों पर थोपते हैं, तो यह बच्चे की मनः स्थिति के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि बच्चा न की गोद से जो भाषा सीखता है निस्सन्देह उसी भाषा में उसकी अभिव्यक्ति सहज और सरल होती है। अतः अंग्रेजी थोपना अमनोवैज्ञानिक होगा और उनके बौद्धिक विकास में बाधक भी होगा। अंग्रेजी सीखने में उसको कठिनाई होगी तो वह रटन्त प्रणाली को जन्म देगा, जिससे स्वतंत्र चिन्तन, मनन न होकर कुठित विचारों का जन्म होगा, जोकि उसके व्यक्तित्व विकास एवं शिक्षण विकास में बाधक होगा। फ्रांस में तो अंग्रेजी के सार्वजनिक प्रयोग पर आर्थिक दण्ड की भांग की गई थी।हम भारतीयों को, हिन्दी जोकि भारत की राष्ट्रभाषा भी घोषित हो चुकी है. की अवमानना में लज्जा आनी चाहिए। क्या अंग्रेजी ही श्रेष्ठता का मापदण्ड बन गई है ? नहीं, कदापि नहीं, श्रेष्ठ वो है जो जीवन में उच्च विचारों और श्रेष्ठ चरित्र पर बल देती है। भाषा के माध्यम से जो हम विचार प्रस्तुत करते हैं जरूरी नहीं वह अंग्रेजी में ही हॉ

उपर्युक्त विचार विमर्श से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब अंग्रेज़ी अभिव्यक्ति का सरल साधन नहीं बन सकती तो हम प्राथमिक कक्षाओं में ही शिक्षा को माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अपनाने पर क्यों दबाव बना रहे है ? वास्तविकता तो यह है कि अंग्रेजी अपनाने का आग्रह अस्वाभाविक है। जो देश अपने देश की भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाते हैं, जैसे कि चीन, फ्रांस, रूस, जापान आदि देशों ने किया है, उनकी उन्नति में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ी। ये भी विकसित देशों की श्रेणी में आ चले हैं। जब चीन, जापान तथा रूस जैसे विकसित देश अंग्रेज़ी को छोड़ अपने देश की भाषा को शिक्षा का माध्यम बना कर विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं, तो हम फिर हम क्यों विदेशी भाषा को शिक्षा माध्यम बनाने की झूठी शान में लगे हुए हैं। संसार के जर्मनी जैसे देश में हिन्दी का बहुत बड़ा केन्द्र बना हुआ है। हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आंतरिक शक्ति तथा अर्थवत्ता के साथ प्रतिष्ठित हो रही है। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हो रही है, के महत्त्व को अस्वीकार करते हुए, किसी विदेशी भाषा का अनुकरण करने पर लगे हुए हैं। हमें इस दास मानसिकता से मुक्त होना होगा।

हिन्दी के पक्ष में तर्क

यदि हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए तो यह अधिक सार्थक और राष्ट्रहित के लिए होगा।

1.अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक:यदि किसी विद्यार्थी या अध्यापक को किसी कारणवश अन्य प्रदेश में जाकर रहना पड़े, तो उन्हें हिन्दी माध्यम होने के कारण शिक्षा देने और ग्रहण करने में कोई असुविधा नहीं होगी। कई बच्चों के अभिभावकों को केन्द्रीय दफ्तरों में नौकरी के स्थानान्तरण के कारण बच्चों का विद्यालय या महाविद्यालय बदलना पड़ता है, परंतु ऐसे बच्चों को कोई असुविधा नहीं होती, जिनका माध्यम हिन्दी होता है, परंतु यदि भाषा के दृष्टिकोण से कोई बदलाव आता है, तो इसका सीधा असर शिक्षक की कार्यकुशलता पर पड़ता है।

2.व्यक्तित्व के विकास में सहायक:यदि हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। तो यह विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा। उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा।स्वाभाविक रूप से की गई आत्माभिव्यक्ति से मन निखरता है। मन के विकास से ही व्यक्ति का विकास संभव है।

3 सामाजिक समानता:कौन सी भाषा श्रेष्ठ है और कौन सी नहीं? इस विवाद का प्रश्न पैदा नहीं होगा यदि हिन्दी को सामाजिक समानता के अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाएगा। एक

बहुभाषी समाज में कोई भी व्यक्ति भाषा के आधार पर पद प्रतिष्ठा नहीं पा सकेगा। हिन्दी माध्यम होने से कुछ क्षेत्रीय भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बुंदेलखण्डी अपने अस्तित्व मांग होने पर भी उनकी निष्ठा हिन्दी से ही जुड़ी है वे हिन्दी को समर्पित है।

4.राष्ट्र एकता में सहायक: हिन्दी सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा है। सभी प्रदेशों के निवासी इसे सरलता से अपना लेते हैं। हिन्दी राष्ट्र-भाषा होने के नाते सभ भारतवासियों को एकात्मक तथा भावात्मक सूत्र में पिरोती है। परस्पर प्रदेशों में प्रेम को बढ़ाने और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी हिन्दी के महत्व को

नकारा नहीं जा सकता। इस बात लिए सभी विद्वानों का मानना है कि निश्चित ही भाषा की उन्नति से राष्ट्र की एकता स्थापित हो सकती है।

जवाहर लाल नेहरू के अनुसार, 'हिन्दी का ज्ञान राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन देता है और हिन्दी भाषा अन्य भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता रखती है। अंग्रेजी से हम राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि भावात्मक अभिव्यक्ति अपनी भाषा में होती है राष्ट्रीय भाव राष्ट्रभाषा से होते हैं तो हिन्दी इसकी अधिकारिणी है।

5.वैज्ञानिक भाषा:हिन्दी भाषा में यह गुण है कि ध्वनि और लिपि में साम्य होने के कारण उसे बोलना तथा लिखना सरल है। हिन्दी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित संकेत है, इसमें जो लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है, ये अक्षरात्मक है। हिन्दी वैज्ञानिक विधि से सीखी जा सकती है। हिन्दी का ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य संरचना, इत्यादि सभी सरल और बोधगम्य है।

6. व्यवहारिक प्रयोग:आज तकनीकी माध्यमों ने, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्में इत्यादि ने इसको व्यावहारिक बनाने में बहुत अधिक भूमिका निभाई है। अधिकांश चैनल, अधिकांश कार्यक्रम हिन्दी में प्रसारित किए जाते हैं। सभी भारतवासी उन्हें सुनते व देखते हैं और उनके लिए हिन्दी को समझना बड़ा सरल बन चुका है। यहाँ तक कि मोबाइल फोन पर संदेश भेजने के लिए हिन्दी का प्रयोग होता है। जल्दी ही लिपि भी हिन्दी होने लगेगी। इंटरनेट की भाषा के लिए हिन्दी विकसित हो रही है। सफलतापूर्वक 100 वैबसाइट तो चल रहे हैं। दूसरे देशों मैं भी फिल्मों के माध्यम से हिन्दी ने अपने पैर पसार लिए हैं। फिर भी हम हिन्दी माध्यम के रूप को चुनने में आशंका करते हैं। सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों में हिन्दी माध्यम के रूप में घोषित - और आवश्यक रूप से हिन्दी पढ़ने के अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं।

7.साहित्यिक महत्व:भारतीयदर्शन के अधिकतर अंश हिन्दी भाषा में सुरक्षित है। हिन्दी का अपना समृद्ध साहित्य है। प्रसिद्ध कवियों और लेखकों जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति जायसी, कबीर, तुलसी, मुंशी प्रेमचंद, सेनापति, मैथिलीशरण गुप्त, महादेवी वर्मा आदि ने भी हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना-अपना योगदान दिया है। उनके भाव तथा विचार -समूचे मानव-समाज के लिए अनमोल सम्पदा है, यदि हिन्दी के ऐसे अमूल्य साहित्य को जनता पहुँचाते हैं, तो हिन्दी को माध्यम के रूप में अपनाना होगा वरना ये व्यापक साहित्य तथा महान भाव तथा विचार आम जनता तक न पहुँच कर चन्द कागज़ के टुकड़े बन कर रह जायेंगें।

हिन्दी साहित्य की देश-विदेशों में है। देश हिन्दी साहित्यको पश्य समझते हैं। वे हिन्दी सीखते भी है। हिन्दी अमीर खुसरों माना जाता है और लाखों विद्वान हिन्दी की सेवा में की संवाहिका है। बहुभाषी देश होने के कारण भारत सरकार का इनता है कि हिन्दी के साहित्य के प्रचार और प्रसार पर ध्यान दें। हिन्दी साहित्य हमारे कहानी कहते हैं। हिन्दी को माध्यम बनाने से भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हिन्दी का पठन-पाठन हो सकेगा।

8.सुगमता के दृष्टि से महत्व: इस दृष्टि से निम्नलिखित है-

1. केन्द्र सरकार को एक ही भाषा में पाठ्य पुस्तक को बनाना होगा जिससे वितीय बोझ नहीं होगा। समस्त भारत के लिए पाठ्यक्रम और स्तर भी एक समान होगा।
2. शिक्षा में अनुसंधान शोधकार्य आदि के लिए भी भिन्न-भिन्न प्रांतों से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
3. अहिन्दी भाषी प्रदेशों के विद्यार्थियों को रोजगार के समान अवसर मिलेंगे।

हिन्दी के विपक्ष में

भारत की अन्य प्रदेशिक भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी में अंग्रेजी भाषा का स्थान लेने की क्षमता है परन्तु हिन्दी के विपक्षियों ने हिन्दी के विरोध में कुछ बातें कही है।

1. पारिभाषिक शब्दावली की कमी: पहला आक्षेप पारिभाषिक शब्दावली को लेकर किया जाता है कि हिन्दी इसमें पिछड़ी है. परन्तु इस कार्य के लिए बहुत से साहित्यकार बड़े परिश्रम से इस कार्य को सम्पन्न करने में जुटे हुए हैं।

(1) केन्द्रीय सरकार ने प्रशासकों न्यायविदों, समाजशास्त्रियों, वैज्ञानिकों से परिभाषिक शब्दों की सूची प्रकाशित करवा ली है।

(2) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की सभी शाखाएँ इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है तथा प्रोत्साहित कर रही है। यह कार्य विकास की ओर अग्रसर है।

(3) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने भी इस काम में पूरी रुचि दिखाई है अंतः महाविद्यालय स्तर के सभी पारिभाषिक शब्द हिन्दी में प्रयुक्त हो रहे हैं।

(4) संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है कि ये पारिभाषिक शब्द संस्कृत भाषा से मूल रूप में लिए गए हैं अथवा धातुओं, उपसगों और प्रत्ययों से बना लिए गए है। उदाहरण धातु से ही विधि विधान संविधान विधेयक कैशनिक अवैध आदि 80 शब्दों का निर्माण हुआ है।

अतः अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक, सांख्यिकी, साहित्यिक तर्कशास्त्र सूचना सम्बन्धी, कृषि स्वास्थ्य सम्बन्धी कितने ही विविध पारिभाषिक शब्दकोषों का निर्माण हो चुका है। आवश्यकता है तो इन्हें दैनिक जीवन में प्रयोग करने की।

2. शिक्षक की कर्तव्य विमुखता कई विद्वानों के अनुसार अध्यापक हिन्दी से अनि हो रहे है और वह अपने कार्य को उस भावना से नहीं निभा पा रहे हैं. जितना उन्हें निभाने के आवश्यकता है।अपने हिन्दी भाषा के स्वाभिमान को जगाने से ही हिन्दी की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और यूनाईटड नेशनस में इसे छठी भाषा के रूप में मान्यता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि अध्यापक इच्छा रख कर प्रयत्न करे तो कालांतर में हिन्दी को अधिक सम्मान मिलेगा। जन-जन की भाषा बनेगी। केवल उनमे कर्तव्योन्मुखता तथा आन्तरिक प्रेरणा की आवश्यकता है।

3. पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों का अभाव:जहाँ हिन्दी में पाठ्य पुस्तको का **अभाव** है, वहीं हिन्दी के लिए प्रशिक्षित, सुयोग्य शिक्षकों का मिलना दुष्कर कार्य है। हिन्दी शिक्षकों क कमी के कारण हिन्दी में पुस्तकों का लेखन कार्य अंग्रेजी भाषा की अपेक्षा कम है। इसके लिए भारत सरकार कोआगे आने की आवश्यकता है। संविधान की धारा 350 बी में हिन्दी के विकास और उन्नति के लिए प्रावधान है। इसके अन्तर्गत बहुत से कार्य किये जा चुके हैं। थो रह गये हैं। हम अध्यापकों का कर्तव्य है इस दिशा में राज्य सरकारों की मदद करें।

4. संस्कृत गर्भित भाषा: कुछ आपत्तियों है कि हिन्दी को संस्कृत गर्भित बना कर इस कठिन बना दिया गया, विशेषकर पारिभाषित शब्दों को सहज ही कण्ठस्थ कर लेना मुश्किल कार्य है। जिसके

परिणामस्वरूप सामान्य लोगों के लिए इसे सहज ही समझ लेना कठिन हो गया है। उदाहरण के रूप में बाईसाईकल के लिए द्विचक्र, रेल के लिए लोहपथगामिनी इत्यादि शब्द मजाक का विषय भी बन जाते हैं। इस तरह के जो दैनिक प्रयोग में शब्द आते हैं उनको बदलना। भी उचित प्रतीत नहीं लगता।

1. हिन्दी को सरल बनाने का मतलब यह भी नहीं है कि उसमें प्रशासन एवं ज्ञान-विज्ञान के अन्य विषयों से सम्बन्धित शब्दावली का समावेश ही न किया जाए। प्रशासन, ज्ञान, विज्ञान या अन्य विषय से सम्बन्धित विशिष्ट शब्दावली हमेशा मुश्किल रही है। यह सोच कर कि यह संस्कृत गर्भित भाषा है, के सरलीकरण की माँग उचित नहीं। है।
2. व्याकरण की भाषा भी कुछ कठिन होती है। भाषा की कठिनाई वहाँ है, जहाँ इसका प्रयोग कम हो परन्तु यह प्रयोग से धीरे-धीरे सहज से स्वीकार्य हो जाएगी।

<u>प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा शिक्षा का माध्यम - पक्ष में तर्क</u>

मातृभाषा का सरल अर्थ है - जो बच्चे की माँ भाषा होती है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात भारत में जब शिक्षा के माध्यम पर प्रश्न चिन्ह लगा, तो बहुत-से विद्वानों का यही परामर्श धा बच्चा अपनी माँ की गोद में जो भाषा सीखता है, वही भाषा की अभिव्यक्ति सहजता से कर सकता है। माता-पिता या परिवार के सदस्यों से अनुकरण द्वारा सीखी और सहज बोली का परिष्कृत रूप मातृभाषा कहलाती है। यह समाज स्वीकृत मानक भाषा होती है। मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो, इसकी चर्चा से पहले उसके अर्थ पर विचार करें।

<u>मातृभाषा से अभिप्राय :</u>

महात्मा गांधी का विचार, मेरा इस बात में पक्का विश्वास है कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा के सिवा किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते है, वह आत्महत्या करते है।

<u>विस्तृत अर्थों में</u>

यदि बच्चे को जन्म लेते ही ऐसे परिवार में छोड़ दिया जाए, जहाँ की भाषा उसके परिवार से भिन्न हो तो निश्चित ही वह उस भाषा को सीखेगा, जिसमें उसका पालन-पोषण हुआ। अतएव उस भाषा को ही मातृभाषा कहना चाहिए जिसे कोई बच्चा अपने वातावरण से सीखता है।

शिक्षा के क्षेत्र में

इसका और भी अधिक व्यापक अर्थ होता है। मातृभाषा से तात्पर्य, "किसी प्रदेश की उस भाषा से होता है,जिसके माध्यम से उस प्रदेश के शिक्षित व्यक्ति मौखिक एवं लिखित रूप में विचार-विनिमय करते हैं"।वस्तुतः मातृभाषा ही व्यक्ति को उसका सामाजिक स्वरूप प्रदान कराती है, क्योंकि व्यक्ति वातावरण एवं अपनी संस्कृति से परिचित होता है।

मातृभाषा का महत्त्व

मातृभाषा बच्चे की शिक्षा का आधार होती है। मातृभूमि, माता और मातृभाषा. भूमि वन्दनीय होती है।मातृभाषा का ज्ञान हर प्रकार के विकास के लिए आवश्यक है।

रायबर्न के अनुसार, "मातृभाषा एक उपकरण है आनन्द प्रसन्नता और ज्ञान का एक स्रोत है, रुचियों एवं अनुभूतियों का एक निदेशक है और विधाता द्वारा मनुष्य को ही उस सर्वोत्तम शक्ति के प्रयोग का साधन है, जिसके द्वारा हम उस भगवान के निकटतम पहुँचते हैं"।

बलराज के विचार, "मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है"।

महाकवि टैगोर के अनुसार,''मातृभाषा के बिना न आनन्द मिलता है, न विस्तार होता है और न ही हमारी योग्यताएँ प्रफुल्लित होती है"।

इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रोत्तर पूर्व तथा पश्चात् जितने भी आयोगों ने सुझाव दिए, जैसे हण्टर, सैडलर, डॉ. ताराचन्द कमेटी, माध्यमिक शिक्षा आयोग कोठारी आयोग सबका एक ही मत रहा है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा / प्रादेशिक भाषा ही होना चाहिए।

मातृभाषा के पक्ष में तर्क

1. मानसिक विकास में सहायक: मानसिक विकास और मातृभाषा का अटूट सम्बन्ध 10 है। मन में उठने वाले विचार भाषा को जन्म देते हैं। और जिस व्यक्ति के पास जितनी सशक्त भाषा होगी, उतनी ही सशक्त उसकी विचारशक्ति होगी। गांधी जी इसी कारण बालक के मानसिक विकास की दृष्टि से मातृभाषा द्वारा शिक्षा पर बल देते थे_ "मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है, जितना कि बच्चे को शारीरिक विकास के माता का दूध बालक पहला पाठ अपनी माता से ही पढ़ता है, इसलिए उसके मानसिक वि के लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा लादना मैं मातृभूमि के द समझता हूँ।

2. बौद्धिक विकास तथा चिन्तन में सहायक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है भाषा का हमारी बुद्धि एवं विकास से अटूट सम्बन्ध है। उनके अनुसार मूक और बधिर परीक्षाओं में सफल नही होते, क्योंकि उनके पास भाषा की शक्ति नहीं होती। भाषा के हमारी बुद्धि की सक्रियता कम होती है, क्योंकि चिन्तन की क्रिया होती नहीं है। ज्ञानार्जन सुगमता से मातृभाषा के माध्यम से होता है। उतनी सरलता से और किसी दूसरी

भाषा के से नहीं। मातृभाषा में प्राप्त किया हुआ ज्ञान सरलता से आत्मसात हो सकता है बुद्धि। ध्वनि-कोषों की रचना की जो भौतिक प्रक्रिया होती है, उसके परिणामस्वरूप विचार शक्ति मानसिक प्रक्रिया भी होती है. जिससे विद्यार्थी चिन्तन कर सरलता से अपने विचार प्रस्तुत कर है।

3.मातृभाषा भावाभिव्यक्ति में सहायक:मातृभाषा में आत्म प्रकाशन कोई बोझ होकर सहज, स्वाभाविक लगता है, जबकि अन्य भाषा में भावाभिव्यक्ति के लिए कुशलता ल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे भाव स्वतःस्फुरित नहीं होते। वैज्ञानिकों के अनुसार नवज शिशु अपने मस्तिष्क में आसपास के वातावरण से ध्वनि इकाइयों को संग्रहित करता है, जिनके सहारे वह नई शब्दावली सीखता है और उच्चारण तथा अर्थों को स्नायुकोषों में अंकित करत जाता है। यह प्रकृति की देन है। हमारे शारीरिक कोषों में होने वाली प्रक्रिया को ईश्वरीय समझा जाता है। मातृभाषा में भी इन ध्वनियों को निरन्तर सुनने से उसको भाषा का ज्ञान होने लगता है और वह अपने भावों और विचारों को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करता है।

4.मातृभाषा सामाजिक विकास में सहायक:मनुष्य की सामाजिकता तभी पूर्ण होती है जब वह मातृभाषा के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान करता है। प्रसिद्ध भाषाविद परिष्कर ब्लूमफील्ड ने लिखा है कि मनुष्य के समस्त व्यवहार एवं क्रिया-कलापों का आधार भाषा है, क्योंकि बाह्य एवं आंतरिक उत्तेजना के फलस्वरूप व्यक्ति की प्रतिक्रिया जब तक वाणी के रूप में नहीं प्रकट होती, तब तक क्रिया-सम्पादन में दूसरों का सहयोग नहीं प्राप्त होता। मातृभाष से वे परस्पर भावों विचारों को और हर प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में चाहे त्योहार दुखद समाए मेले खरीददारी मेल-मिलाप हो में प्रकट करना पसन्द करते हैं। अन्य भाषा में नहीं। **मातृभाषा** द्वारा सामाजिक क्रिया-कलाप से सामाजिक एकता बनी रहती है

5.मातृभाषा ज्ञानवृद्धि सहायक ज्ञान का पहला अर्जन माँ की गोद से प्राप्त है। माँ की गोद में ही प्रथम मातृभाषा में उच्चरित लोरियाँ सुनाई देती है। अतः उ व्यक्ति की मातृभाषा विकसित होती है। वह एक विशाल ज्ञान का अर्जन स्वाभाविकता से कर पाता है। यह ज्ञान औपचारिक और अनौपचारिक रूप से प्राप्त होता रहता है। जितना ह होकर व्यक्ति मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करता है, उतना अन्य भाषा में नहीं। प्रौढ व्यक्ति कितनी भी अंग्रेज़ी जानता हो, परन्तु पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए वह अपनी मातृभाषा में ही लिखी पत्रिका को चुनता है, इसका अर्थ यह नहीं कि किसी दूसरी भाषा से वह ज्ञान लेना नहीं चाहेगा, परन्तु प्राथमिकता वह अपनी मातृभाषा को ही देगा। यहाँ तक कि मनोविनोद के लिए वह मातृभाषा में लिखी गई कथा- कहानियाँ तथा नाटक आदि देखना पढ़ना व सुनना पसन्द करता है।मातृभाषा द्वारा सांस्कृतिक विकास किसी भी प्रदेश की मातृभाषा में वहाँ की संस्कृति निहित रहती है।मातृभाषा से अपनी संस्कृति की मान्यताएं, रीति-रिवाज़, कला आदि को बड़ी सुलभता से पढ़ा और समझाजा सकता है। यदि कोई संस्कृति और जाति जीवित रहती है तो किसी भाषा के फलस्वरूप ही रह पाती है, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से उसका संरक्षण हो सकता है। यदि हम भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं तो हिन्दी को जानना होगा। मातृभाषा से जुड़े साहित्य को पढ़ने के पश्चात हम अपनी मातृभूमि को वन्दीय मानते हुए धरती और परिवेश के सहसम्बन्धी हो जाते हैं। जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट है कि, मातृभाषा बालकों को अपने पूर्वजों के विचारों, भावों तथा महत्त्वाकांक्षाओं की समृद्ध संस्कृति से परिचित करवाने का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है।

7. मातृभाषा भावात्मक विकास में सहायक: जहाँ पर बालक मातृभाषा का प्रयोग करता है, चाहे मित्र मण्डली, सगे सम्बन्धियों में, वहाँ उसका भावात्मक सम्बन्ध जुड़ जाता है, वहाँ वह अपने आपको सहजता व स्वाभाविकता में पाता है। दूसरों के साहचर्य से आनन्दित भी होता है। मातृभाषा में साहित्य पढ़ना सुख-दुःख, निराशा-आशा, हर्ष-विनोद, रोचकता-अरोचकता जनजीवन के सभी पहलुओं को प्रकट करना सहज हो जाता है। भावात्मक भाषा की अभिव्यक्ति मातृभाषा में ही हुआ करती है। विदेशी या अन्य भाषा अच्छी प्रकार से सीखने के बावजूद भी हमारे भावों को उद्वेलित नहीं कर सकती। यदि भावनाओं को रोका जाए तो अवसाद, कुण्ठा. जड़ता तथा मनोवैज्ञानिक रोग भी पकड़ते हैं। इसलिए मातृभाषा से मनोवेगों का उदात्तीकरण, परिष्करण ही भावात्मक विकास होता है।

8.मातृभाषा में सृजनात्मकता का विकास:मातृभाषा बालक में स्वतंत्र चिन्तन एवं मौलिक अभिव्यक्ति का विकास करती है। मौलिक साहित्य मातृभाषा में ही सम्भव है। किसी अन्य भाषा में लिखा जा सकता है, परन्तु मौलिकता मातृभाषा में नहीं आएगी। मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करना तथा अध्ययन करते रहने से, तथा लम्बे समय के साहचर्य से सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है।

9.शिक्षा की आधारशिला:मातृभाषा में विचार विनियम की सरलता होने के कारण इसे शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। बच्चा उसे आसानी से समझ लेता है। सभी विषयों को समझने में कोई कठिनाई नहीं आती है। अन्य भाषा द्वारा सहजता से शिक्षा ग्रहण करना दुष्कर कार्य लगता है। इसके लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है। डॉ. जाकिर हुसैन, "मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की माँग में न केवल देश भक्ति का ही भाव निहित है बल्कि विज्ञान और अच्छी शिक्षा सिद्धांतों का भी यही तकाजा है"।

मातृभाषा / प्रादेशिक भाषा के विपक्ष में तर्क

अंग्रेजी भाषा के विपक्षियों तथा कुछ विद्वानों ने प्रादेशिक भाषा का समर्थन इसके लिए भी कुछ आक्षेप हैं। यदि हम प्रान्तीय आधार पर शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा रखेंगे, तो समाज की सीमाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिक्षा प्रदान करने तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें एक भाषा की सीमा में न बंध कर पूरे राष्ट्रहित में जो आवश्य है, उसी के अनुसार फैसले लेने की आवश्यकता होगी। जब संसार में विश्वीकरण बढ़ रहा है तब केवल प्रान्तवाद से जुड़े रहना हितकर न होगा। विश्व स्तर पर तो क्या, यहाँ तक कि प्रान्त दूसरे प्रान्त के पठन-पाठन का कार्य भी नहीं कर सकेंगे।

1. प्रत्येक प्रान्त में प्रत्येक विषय के लिए पृथक-पृथक साहित्य का निर्माण क पडेगा। यह दुष्कर कार्य होगा। इससे कितना शक्ति का हास और समय नष्ट होगा। यह सोचने वाली बात है। सरकार के पास पहले से ही धन नहीं है न ही इतनी शक्ति।

2. दक्षिण भारत में तो पहले से ही हिन्दी भाषा के विरोधी रहे हैं। भाषा के आधार पर प्रांतीय विभाजन होगा। देश का एक भाग तो कटा-सा प्रतीत होगा और हिन्दी से वह पूरी तरह अनभिज्ञभी रहेंगे या अल्प ज्ञान रखेंगे।

3. प्रादेशिक भाषाओं की सीमाओं में रहने के कारण विद्यार्थी को दूसरे प्रदेश स्थान जाकर जीवनयापन करना कठिन हो जाएगा।

4.अंग्रेजी के हटाने से अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द सभी प्रान्तीय भाषाओं में अनुवादित करने पड़ेंगे, जोकि सुगम कार्य नहीं प्रादेशिक भाषा में यह कार्य करने में कितना समय शक्ति लगेगी, अभी तो हिन्दी में यह कार्य पूरी तरह से सम्पादित नहीं हो पाया है। प्रादेशिक भाषा के लिए यह कितना मुश्किल होगा। इसे मली-भाँति समझा जा सकता है।

5. प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का अर्थ है- भारत को खण्ड-खण करना क्योंकि भाषा ही है जो दिलों को जोड़ती है। यह भावात्मक एकता पैदा करती है। किसी अमेरिका में रहने वाले पंजाबी को यहाँ का पंजाबी व्यक्ति मिल जाता है तो भावा स्तर पर उसका हृदय हिलोरे लेने लगता है। प्रेम भाव, करुणा, उमड़-उमड़ आती है। परन्तु इस स्थिति में यदि भारत में प्रादेशिक भाषा माध्यम के रूप में स्वीकारते हैं तो भारतीय कौन ह? पंजाबी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी तो मिल जाएँगे और भारतीयता खत्म हो जाएगी। भारत, जिसमे श्री लंका, जावा, सुमात्रा, दीन एक अखण्ड भारत था। प्रादेशिक भाषाओं के शिक्ष का माध्यम रखने पर इसका अस्तित्व खत्म होने की कगार में होगा और साम्प्रदायिक भा का बोलबाला होगा। भाषा में एक शक्ति है, जो ईश्वर प्रदत्त है। हमें अपनी बुद्धि चला कर ईश्वर प्रदत शक्ति के दुरूपयोग से ऋषियों-मुनियों की धरती से वैदिक संस्कृति को खत्म की योजना को सफल नहीं करना है। हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, एक अखण्ड भारत भारती भारतीयता का सपना साकार करना होगा। रूस में भी 150 रूसी भाषाएं है राष्ट्रीय एकता के निमित केवल रूसी भाषा ही सभी जगह मान्यता प्राप्त है। यही अमेरिका के भी स्थिति है। बहुत-सी भाषाओं का देश होते हुए भी अंग्रेज़ी भाषा ही राज शासन की भाषा है। उनका क्षेत्रीय भाषाओं का कोई झगड़ा नहीं। इन्डोनेशिया और मलेशिया दोनो स्वतन्त्र राष्ट्री की राष्ट्रभाषा तथा प्रशासनिक भाषा इण्डोनेशिया है। मिस्र देश में भी क्षेत्रीय भाषाओं का झगड़ा समाप्त करके प्राचीन अरबी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम तथा प्रशासन की भाषा बना दिया गया है।

इस वाद-विवाद का सार यह है शिक्षा का माध्यम अभी तक निश्चित नहीं हो सका है। सभी अपने अपने मत को मान्यता दे रहे हैं। इसके लिए विद्वानों को निष्पक्ष होकर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।शिक्षा के किस स्तर तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम रखा जाए और अंग्रेज़ी की क्या स्थिति होनी चाहिए एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी को आरूढ़ करने के लिए कौन-कौन से उपाय हो।

भाषा और माध्यम भाषा में अन्तर

भाषा के माध्यम से मानव अपने ज्ञान को संचित, उसकी अभिवृद्धि एवं उसे प्रसारित करता है भारत जैसे विशाल देश में भाषाओं की विविधता का होना स्वाभाविक है, सभी भाषाओं का आदर सम्मान तथा विकास होना चाहिए। भाषाओं की शिक्षा के लिए विद्वानों ने भाषाओं को पांच वर्गों में बाँटा है-

1.मूल भाषा।

2. सांस्कृतिक भाषा।

3. मातृभाषा।

4. राष्ट्र भाषा

5. अन्तर्राष्ट्रीय भाषा

शिक्षार्थी के स्वाभाविक विकास के लिए मातृभाषा का बहुत महत्व है। राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना आवश्यक है। क्योंकि देश की एकता एवं सम्पर्क के लिए निश्चित रूप से एक भाषा एक राष्ट्र का सिद्धांत लागू करना अति आवश्यक है। विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा भी आवश्यक है। क्योंकि उच्च शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की शिक्षा में आवश्यकता पड़ेगी। पर प्रश्न पैदा होता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए कौन से स्तर पर किस-किस भाषा को पढ़ाया जाए? विद्यार्थी के लिए कितनी भाषाएँ पढ़ना आवश्यक होना चाहिए? तीसरा प्रश्न है कि विद्यार्थी की शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो?

स्कूलों में शिक्षा मातृभाषा, राष्ट्र भाषा सांस्कृतिक भाषा एवं विदेशी भाषा पढ़ाई जाती है। फिर सभी भाषाओं का अपना अपना स्थान है। कुछ शिक्षा विद्वानों का मानना है इन भाषाओं को शिक्षा में किसी न किसी रूप में शामिल करना आवश्यक है जितना विद्यार्थियों को भाषाओं का ज्ञान होगा उतना ही व्यक्तित्व प्रभावशाली और जीवन उपयोगी हो सकेगा। भाषा का उद्देश्य जहां वर्तमान से सामंजस्य करना सिखाना है वहाँ दूसरी ओर भावी जीवन के लिए तैयार भी करना है। यदि विद्यार्थी उपर्युक्त मुख्य भाषाओं में कौशल अर्जित (श्रवण, बोलना, पढ़ना, लिखना) कर लेता है तो शिक्षा काल में किसी भी भाषा को शिक्षा का माध्यम के रूप में अभिव्यक्ति कर सकता है। आज के विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं जैसे फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश इत्यादि भाषाओं को सीखना चाहते हैं।परन्तु हर भाषा को शिक्षा के माध्यम से रूप में स्वीकार करना यह हर विद्यार्थी के लिए मुश्किल कार्य है। हां इतना जरूर है कि विदेशी भाषाओं को सीख कर विभिन्न समुदायों और संस्कृति को जाना जा सकता है।

कई शिक्षाविद एवं विभिन्न आयोगों के सुझाव के साथ हमारी भी सहमति है कि आज के समय में विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में चार भाषाओं का अध्ययन जरूर करें। मातृभाषा, राष्ट्र भाषा, अन्तर्राष्ट्रीय भाषा, एवं ऐच्छिक भाषा के रूप में सांस्कृतिक भाषा हो सकती है। शिक्षा का माध्यम भाषा प्रारम्भिक कक्षाओं में मातृभाषा हो माध्यमिक कक्षाओं में माध्यम के लिए वह स्वयं ही माध्यम की भाषा का फैसला ले सकता है। माध्यम की भाषा इस स्तर पर थोपना अनुचित है। जिस धारा प्रवाह से वह अभिव्यक्ति कर सकता है उसे वही भाषा शिक्षा का माध्यम न भाषा रख लेनी चाहिए। यदि अन्तर की दृष्टि से भाषा और माध्यम भाषा में परखा जाए तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन दोनों में अन्तर करना कठिन कार्य है। फिर भाषाओं को अधिक स्पष्टता और गहनता से समझने के लिए इसमें अन्तर के दृष्टिकोण से इसका वर्णन प्रकार से है-

भाषा	शिक्षा माध्यम भाषा
1.भाषा व्यक्ति के पूर्ण विकास में एक अजस्त्र धारा	1.शिक्षा माध्यम की भाषा एक एसा आज शक्ति है

है जितनी भाषाएं अपने जीवन में सीखता है उससे विद्यार्थी का आत्म विश्वास बढ़ता है।	विद्यार्थी के जन्म से पूर्व ही बन से शरीर के स्नायु तंत्र के जाल के रूप में होती है। क्योंकि शिक्षा विद्वान एवं मनोवैज्ञानिक विद्यार्थी के लिए मातृभाषा को ही शिक्षा माध्यम की भाषा को उचित ठहराया है।
2. व्यक्ति के जीवन काल में भाषाओं के शिक्षण के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यह विद्यार्थी के बुद्धिमता, ग्राह्यशक्ति तथा प्रतिभा पर निर्भर करता है।	2.व्यक्ति के शिक्षा काल में शिक्षा का माध्यम क्षे या तीन ही हो सकते है और विद्यार्थी के शैक्षणिक स्तर के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं।
3. वैज्ञानिक व औद्योगिक युग में केवल अपने भाषा भाषियों के साथ जीवन व्यतीत करना मुश्किल कार्य हो चला है, बाकी जीवन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सम्पर्क स्थापन के लिए अन्य भाषाओं का सीखना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।	3.शिक्षा माध्यम की भाषा हर प्रकार को ज्ञाना में सक्षम होती है। क्योंकि प्रारम्भिक कक्षा में लेकर उच्च कक्षा तक एक ही माध्यम की भाषा को चुना जा सकता है।
4. प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो मातृभाषा के अतिरिक्त कोई भी भाषा को शिक्षा का माध्यम अपनाने में सक्षम होता है। मातृभाषा तो उसका बाएं हाथ का खेल होता है।	4.विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम भाष प्रारम्भिक कक्षाओं में मातृभाषा उचित रहत है। ऐसा शिक्षाविद एवं मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिकों का मानना है।
5. भाषाओं में भाषायी कौशल सीख जाना तो बहुत ही अच्छा रहता है। यदि विद्यार्थी इन कौशलों को अर्जित करने के लिए अतिरिक्त शक्ति लगायेगा तो हो सकता है। शिक्षा के अन्य विषयों पर दुष्प्रभाव पड़े। उनको समय न दे पा सके।	5.शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक या मातृभाषा रखने वाले कई बार असहाय, निर्बल माने जाते है क्योंकि वह अंग्रेजी का प्रयोग नहीं कर सकते।
6. भारत जैसे बहुभाषी समाज के संदर्भ में देखा गया है कि कोई व्यक्ति इसलिए भी प्रतिष्ठित हो जाता है कि वह व्यक्ति निश्चित भाषा भाषी है जैसे अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए। 7.अधिक भाषाओं की जानकारी के लिए उस भाषा की गहनता में उतरना अपेक्षित नहीं हो सकता जैसे जरूरी नही कर अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन भी करें।	6.शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक या मातृभाषा रखने वाले कई बार असहाय, निर्बल माने जाते है क्योंकि वह अंग्रेजी का प्रयोग नहीं कर सकते। 7.शिक्षा माध्यम भाषा से विद्यार्थी अपनी भाषा के साहित्य अध्ययन में भी रूचि दिखाता है। क्यांकि इसमें भाषायी कौशल भी विकसित हो गए होते हैं।
8. भौतिक जीवन-यापन के विकास एवं दिखावे के लिए अन्य भाषाओं का सीखना फैशन हो सकता है।	8.शिक्षा के माध्यम भाषा का विशेष सम्पर्क स्थापन का कोई लेना देना नहीं होता। अन्य विषयों की विषय-वस्तु के साथ स्थापन ही उनका उद्देश्य रहता है।
9. विश्व में अन्य सम्पर्क स्थापन के लिए विदेशी भाषाओं को सीखना व अध्ययन आवश्यक है।	9.शैक्षणिक जीवन को उपयोगी बनाने के लिए माध्यम भाषा पर ही निर्भर किया जा सकता है। माँ के गोद की भाषा में सहजता सुलभता है वहां

	दिखावे के लिए कोई स्थान नहीं। ।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भाषा और शिक्षा माध्यम भाषा में विशेष अन्तर न समझते हुए कहा जा सकता है कि माध्यम भाषा बहुत ही सुंगठित, व्यवस्थित एवं परिपक्व होनी चाहिए। बाकी भाषाएँ सीखना भी व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार मुदालियर शिक्षा आयोग 1952, कोठारी आयोग 1964-66, भाषा शिक्षा नीति 1986 पी० ए० ओ० 1992. पाठ्यचर्या 2000 एवं 2005 सक ने त्रिभाषी सुत्र का सुझाव प्रस्तुत किया है ऐसे में लगता है। भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। जिस भाषा में भी विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति देना चाहता है। या सुगम रास्ता लगता है उस पर चलकर अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करना जरूरी है। हो इतना जरूर है माध्यम भाषा थोपना नहीं चाहिए। जो विद्यार्थी अन्य (विदेशी) भाषा में अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं उनमें अभिव्यक्ति सम्बन्धी कठिनाई अवश्य आड़े आती है वह उसके उड़ान भरने वाले परों को काट देती है वह फड़फड़ाकर कर हताश हो कर भूमि में लुढ़क जाता है। अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए बिना बोझिल बने सहज हो सकता है। पर औसत विद्यार्थी मातृभाषा माध्यम की भाषा से स्वच्छ आकाश में उड़ने की क्षमता रखता है। त्रिभाषी सुत्र भारत जैसे बहु-भाषी देश के लिए सफल प्रयास है, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाशास्त्र और शास्त्रियों की दृष्टि से त्रिभाषी सूत्र का समधन किया है।

VISION SUPREME
ज्ञानं चक्षुर्मनुष्याणाम